

फटे अहकाम

(नियम 78)

ज अदालत उपजज अधिकारी सिकराय
 सरकार बनाम चैतना / मोतीलाल
 क्रम मुकदमा डावा मु० न० २०७/२०२५

<p>हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>प्रभावली पेश/बकील वाडी उपज उपतहसीलदार सिक-दरा द्वारा प्राथमिक डिही की पालना में सुरेजात प्रस्ताव कि 16.11.24 पेश किए गए बकील वाडी की बहस सुरेजात सुनी गई। सुरेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाना-प्राथमिक है। कल: उप तहसीलदार सिक-दरा द्वारा प्रस्तुत सुरेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा अन्विम डिही किया जात है। सुरेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा वाडी अन्विम डिही किया जाता है। सुरेजात प्रस्ताव निर्णय का आग होगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले अदालत में सुनाया गया। प्रभावली के कल नुमार होकर नम्बर से कम है।</p>	

